



म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
जी, पी. एच. प्रांगण पोलोग्राउंड, इंदौर
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
0731-2426354 फेक्स 0731-2423300

क्र.प्रनि/पक्षे/01/मासं./उप.सचिव / 161

इन्दौर, दिनांक 3 APR 2018

आदेश

म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल के जाप क्र. एफ-02-02/2013/तेरह, दिनांक 27-03-2018 एवं दिनांक 29-03-2018 के निर्देशानुसार, कंपनी के आदेश क्रमांक 231 दिनांक 01-04-2016 सहपठित आदेश क्र. 371 दिनांक 26-05-2016 के द्वारा जारी 'मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) नियम, 2016" को अधिक्रमित करते हुए "मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) संशोधित नियम, 2018" जारी किये जाते हैं।
संलग्न :- "मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) संशोधित नियम, 2018"

आदेशानुसार

(मनोज पुर्झ)

मुख्य महाप्रबंधक (मासं. एवं प्रशा.)

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक

3 APR 2018

क्र.प्रनि/पक्षे/01/मासं./उप.सचिव 6935

प्रतिलिपि :-

01. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल ।
02. मुख्य महाप्रबंधक (मासं. एवं प्रशा.), म.प्र. पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमि., म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमि./
म.प्र.पूर्व/मध्य क्षे.वि.वि.कं.लिमि./ म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर/भोपाल ।
03. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य), कॉर्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., इन्दौर
04. कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., इन्दौर ।
05. कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी,कॉर्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., इन्दौर ।
06. मुख्य अभियंता (उ.क्षे.), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,उज्जैन ।
07. मुख्य अभियंता(सिविल),म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,इन्दौर ।
08. मुख्य अभियंता(कार्य/आर.ए.पी.डी.आर.पी./आय.पी.डी.एस.),म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,इन्दौर ।
09. मुख्य वित्तीय अधिकारी,कॉर्पोरेट कार्यालय,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,इन्दौर ।
10. संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), कॉर्पोरेट कार्यालय,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (क्रय/एम.टी.) कॉर्पोरेट कार्यालय,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.इन्दौर ।
12. अधीक्षण अभियंता (भण्डार/एम.टी.-प्रथम/द्वितीय), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
13. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
14. समस्त अधीक्षण अभियंता (.....),म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,।
15. समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,.....।
16. निज सचिव, संबंध प्रबंध निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यालय, इंदौर ।

(ए.एल. कुरेशी)

उप सचिव

**मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर
संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018**

विद्युत कंपनियों की संगठनात्मक संरचना में संविदा के ऐसे पद स्वीकृत है, जिनके विरुद्ध दीर्घकाल तक संविदा कार्मिक को अनुबंधित किया जाना संभावित है। संविदा कार्मिकों को अनुबंधित करने हेतु कंपनी द्वारा दिनांक 01.04.2016 को म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2016 जारी किये गए। वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2016 को अधिक्रमित कर, कंपनी में संविदा कार्मिकों को अनुबंधित करने एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 जारी किये जाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

- 1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम “म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर”, संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 है।
- 1.2 ये नियम दिनांक 01.01.2018 से प्रभावशील/ लागू होंगे तथा इनका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

2. परिभाषा:- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- 2.1 “अनुबंधकर्ता प्राधिकारी” से अभिप्रेत है कंपनी का संबंधित प्राधिकारी।
- 2.2 “संविदा अनुबंध” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन संविदा पर अनुबंधित करने हेतु किया गया अनुबंध।
- 2.3 “संविदा कार्मिक” से अभिप्रेत है म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के कार्यों के निष्पादन के लिये संविदा पर अनुबंधित किया गया कोई व्यक्ति।
- 2.4 “कंपनी” से अभिप्रेत है म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर।
- 2.5 “पात्रता” से अभिप्रेत है - यथाविनिर्दिष्ट शैक्षणिक अहता एवं अन्य अहतायें जैसी विज्ञापित की जायेंगी।
- 2.6 “नियोजक” से अभिप्रेत है म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर।
- 2.7 “पद” से अभिप्रेत है म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर की संगठनात्मक संरचना में संविदा अनुबंध के स्वीकृत पद तथा जैसे विज्ञापित किये जायेंगे।
- 2.8 “संविदा पारिश्रमिक” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन अनुबंधित किये गये किसी व्यक्ति को प्रतिमाह भुगतान योग्य राशि।
- 2.9 “चयन प्रक्रिया” से अभिप्रेत है म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया।
- 2.10 “नियंत्रणकर्ता अधिकारी” से अभिप्रेत है म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का वह अधिकारी जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में संविदा कार्मिक द्वारा कार्य निष्पादित किये जायेंगे।

- 2.11 "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट क्र.1 से 4।
- 2.12 "नियमित कर्मचारी/अधिकारी" से अभिप्रेत है म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर द्वारा नियमित पद पर नियुक्त किये गये कार्मिक।
- 2.13 "मूल्यांकन" से अभिप्रेत है कि संविदा कार्मिक को उसके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर प्राप्त वार्षिक ग्रेडिंग।
- 2.14 "वर्ष" से अभिप्रेत है "कैलेण्डर वर्ष"। साथ ही, पदभार ग्रहण /उपस्थिति दिनांक का वर्ष संविदा नियमों में "वर्ष" को परिभाषित करेगा अर्थात् यदि कोई कार्मिक 31 दिसंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण करता है तो उसका "वर्ष" 2018 माना जायेगा तथा 1 जनवरी 2019 से पदभार ग्रहण करने वाले कार्मिक का "वर्ष" 2019 माना जायेगा। तदापि सेवा अवधि हेतु वर्ष की गणना 12 माह के अनुसार की जायेगी।
- 2.15 विद्युत कंपनियों से अभिप्रेत है :- (1) एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (2) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कंपनी लिमिटेड (4) म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कंपनी लिमिटेड (5) म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमिटेड तथा भविष्य में इन कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली कंपनियां।

3. विस्तार तथा लागू होना:-

- 3.1 ये नियम म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के अधीन, प्रभावी/लागू होने की तिथि से संविदा आधार पर अनुबंधित किये गये नवीन कार्मिकों पर लागू होंगे।
- 3.2 ये नियम म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के द्वारा नियम जारी होने के पूर्व से अनुबंधित उन संविदा कार्मिकों के लिए भी प्रभावशील / लागू होंगे, जो इन नियमों के चयन का विकल्प स्वीकार कर, इन नियमों के अंतर्गत विनियमित होने तथा संशोधित पारिश्रमिक लेने की सहमति देंगे।
- 3.3 ये नियम नियमित कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत दी गई संविदा नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होंगे।

4. संविदा पारिश्रमिक -

- 4.1.1 संविदा अवधि में प्रथम (प्रारंभिक) संविदा पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी, संविदा सेवा की अनुबंधन प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व करेगी।
- 4.1.2 संविदा अनुबंधन पर प्रथम नियुक्ति के समय प्रारंभिक पारिश्रमिक का निर्धारण, इस नियम के परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जायेगा।
- 4.1.3 सर्वप्रथम परिशिष्ट-1 की तालिका-1 के कॉलम (2) में संविदा कार्मिक के पद के समक्ष कॉलम (3) में दर्शित राशि का चयन किया जायेगा। यह राशि उसके अनुबंध की पूर्ण अवधि हेतु स्थिर (फिक्स्ड) रहेगी। इस राशि में, उस वर्ष के जनवरी माह से घोषित, महंगाई भत्ते को जोड़कर प्रारंभिक संविदा पारिश्रमिक का निर्धारण किया जायेगा। प्राप्त राशि को दस रूपये के पूर्णांक में आंकलित किया जा सकेगा।

- 4.2.1 अनुबंध के आगामी वर्ष में पारिश्रमिक निर्धारण हेतु कंडिका 4.1.3 में इंगित अनुसार तालिका-1 के कॉलम (2) में इंगित स्थिर राशि में उस वर्ष 1 जनवरी से लागू महंगाई भत्ते को जोड़ा जायेगा। महंगाई भत्ते की घोषणा होने पर पारिश्रमिक उस वर्ष की दिनांक 1 जनवरी से पुनरीक्षित माना जाकर एरियर के साथ देय होगा।
- उदहारण के लिए, 'क' वर्ष में अनुबंधित कनिष्ठ अभियंता की स्थिर राशि रु. 29520/- है। यदि 'क' वर्ष की 1 जनवरी को महंगाई भत्ते की दर "अ" प्रतिशत थी, जो कि आगामी वर्ष (क+1) में बढ़कर "ब" प्रतिशत हो जाती है तो उक्त कनिष्ठ अभियंता का प्रारंभिक पारिश्रमिक होगा रु. $\{29520 + ((29520 \times \text{अ})/100)\}$ । इसी प्रकार उक्त कनिष्ठ अभियंता का आगामी वर्ष (क+1) में पारिश्रमिक होगा रु. $\{29520 + ((29520 \times \text{ब})/100)\}$ । यही प्रक्रिया अनुबंध के आगामी वर्षों में भी लागू रहेगी।
- 4.2.2 संविदा कार्मिक द्वारा 12 माह की संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर एवं कार्य मूल्यांकन में 'ख' (अंक 6.1 से 7) या अधिक ग्रेडिंग प्राप्त होने पर उसको कंडिका 4.1.3 अनुसार निर्धारित पारश्रमिक में एक (1) प्रतिशत कार्यदक्षता वृद्धि भी देय होगी।
- 4.3 संविदा कार्मिक को देय एकमुश्त राशि, पारिश्रमिक एवं कार्यदक्षता वृद्धि (यदि लागू हो तो), को जोड़कर, प्रतिमाह देय होगी। यह राशि उन दिनों के लिये भुगतान नहीं की जाएगी जिनमें वह अनाधिकृत रूप से कर्तव्य पर अनुपस्थित है।
- 4.4 इन नियमों के प्रभावशील/ लागू होने की दिनांक से पूर्व से अनुबंधित संविदा कार्मिक, अनुबंध समाप्त होने तक, उन पर लागू संविदा शर्तों के आधार पर विनियमित होते रहेंगे अथवा उनके द्वारा कंडिका 10 के अनुसार संशोधित नियम-2018 के चयन किये जाने पर वे चालू अनुबंध समाप्ति तक संशोधित नियम से विनियमित होंगे। अनुबंध समाप्ति तथा आवश्यकता होने पर उन्हें इन नियमों में वर्णित प्रावधानानुसार एवं निम्न प्रक्रिया के अनुसार पुनः अनुबंधित किया जा सकेगा:-
- (i) कार्मिक की उपयुक्तता का परीक्षण चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें प्रबंध संचालक, संबंधित विभाग के प्रमुख तथा प्रबंध संचालक द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी रहेंगे। तदापि प्रबंध संचालक अपने स्थान पर किसी अन्य अधिकारी/अधिकारियों को नामित कर सकेंगे।
 - (ii) चयन समिति द्वारा संविदा अनुबंध के दौरान प्रतिपादित किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा तथा उपयुक्त पाये जाने पर इन नियमों के प्रावधानानुसार समकक्ष पद पर अनुबंधित किया जा सकेगा।
 - (iii) पूर्व से अनुबंधित संविदा कार्मिक को कंपनी की आवश्यकता तथा संविदा कार्मिक की लिखित सहमति होने पर कंडिका (6) के अनुसार नवीन संविदा कालखंड हेतु कार्य दक्षता के आधार पर, अनुबंधित किया जा सकेगा। अनुबंध अवधि में संविदा कार्मिक की औसत ग्रेडिंग 'ख' (अंक 6.1-7) से कम होने पर कार्मिक की संविदा अवधि में वृद्धि नहीं की जायेगी।

- 4.5 संविदा कार्मिक को निम्नानुसार भत्तों की पात्रता होगी :-
- 4.5.1 यात्रा भत्ताःसंविदा पर अनुबंधित कार्मिक को समकक्ष नियमित पद के अधिकारी/कर्मचारी के अनुरूप लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
- 4.5.2 आवास भत्ताः- संविदा कार्मिकों को आवास भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 4.5.3 संविदा कार्मिक को कंपनी के आवास गृह का आवंटन, आवासों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। आवंटन की स्थिति में, संविदा कार्मिक के पारिश्रमिक से नियमानुसार अनुज्ञा शुल्क की कटौती की जायेगी।
- 4.5.4 संविदा कार्मिक को समकक्ष नियमित पद के अधिकारी/कर्मचारी के समान मासिक व्यय प्रतिपूर्ति के साथ मोबाइल सिम (सीयूजी) की नियमानुसार पात्रता होगी।
- 4.5.5 कंपनी चिकित्सालय में चिकित्सा परामर्श एवं चिकित्सालय में उपलब्ध दवाओं की पात्रता होगी। संविदा कार्मिक किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे (कंडिका 4.5.6 में वर्णित स्थिति को छोड़कर)। ऐसे संविदा कार्मिक जिनका कुल पारिश्रमिक 21000/- रु. या उससे कम है उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 (ईएसआईसी) का प्रावधान किया जाकर अंशदान (प्रीमियम) 4.75 प्रतिशत तक कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 4.5.6 कंपनी के कार्य के दौरान संविदा कार्मिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे समकक्ष नियमित अधिकारी/ कर्मचारी को देय चिकित्सा सुविधाओं के सदृश्य पात्रता होगी।
- 4.5.7 संविदा कार्मिक को संविदा पारिश्रमिक व उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते/ सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
- 4.5.8 कंपनी के कार्य के निष्पादन के दौरान घातक/ अघातक विद्युत दुर्घटना की स्थिति में संविदा कार्मिक निम्नानुसार आर्थिक सहायता/अनुदान के पात्र होंगे तथा उनके द्वारा प्रत्येक अनुबंधन पर निकटतम वारिस का विवरण दिया जायेगा:

क्र.	विवरण	राशि
1	मृत संविदा कार्मिक के परिवार / निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान	रु. 4,00,000/- (रु. चार लाख मात्र)
2	शारीरिक अंगहानि के लिए आर्थिक सहायता (अ) जहाँ 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विकलांगता हो वहां दी जाने वाली अनुदान राशि	रु.59,100/- (रु. उनसठ हजार एक सौ मात्र)
	(ब) जहाँ 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो वहां दी जाने वाली अनुदान राशि	रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)

* यह राशि मध्यप्रदेश शासन राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छः, क्रमांक 4 (यथा संशोधित) के सामान है। राजस्व पुस्तक परिपत्र में परिवर्तन/ संशोधन से इस नियम के अंतर्गत उपरोक्त सहायता/ अनुदान राशि तदनुसार परिवर्तित हो जाएगी।

5. चयन तथा अनुबंध पद्धति :

कंपनी की संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत संविदा पदों पर कंपनी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार अनुबंध किया जा सकेगा।

- 5.1 आयु:- प्रथम बार संविदा कार्मिक को अनुबंधित करते समय अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप होगी। इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में शिथिलीकरण हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों को भी संज्ञान में लिया जायेगा।

प्रथम अनुबंध के उपरांत पुनः नवीन अनुबंध करने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा संबंधी प्रावधान उस सीमा तक शिथिल किया जा सकेगा जितने वर्ष/वर्षों की सेवा संविदा कार्मिक द्वारा किसी भी विद्युत् कंपनी में दी गई है।

- 5.1.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन/ महिला/ विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों को, उच्चतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार छूट, कंडिका 5.1 के प्रावधानों के अतिरिक्त, की पात्रता होगी।

- 5.1.2 संविदा सेवा में कार्य करने की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। उक्त अधिकतम आयु पर संविदा अनुबंध स्वतः ही शून्य हो जाएगा।

- 5.2 संविदा पर अनुबंधित किये जाने वाले अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन जिला पुलिस के माध्यम से कराया जायेगा, तदापि चरित्र सत्यापन का कार्य, अनुबंध के बाद भी कराया जा सकता है, बशर्ते कि अनुबंध के समय संबंधित द्वारा स्व-प्रमाणीकरण दिया जाये कि उसके विरुद्ध किसी माननीय न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं चल रहा है एवं न ही किसी पुलिस थाने में कोई दाइंडक प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों/चरित्र सत्यापन के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में अनुबंध प्राधिकारी ऐसे अनुबंधों को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगा।

- 5.3 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:- संविदा कार्मिकों की अनुबंध के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

- 5.4 आरक्षण:- संविदा सेवा नियमों के अंतर्गत अनुबंधन हेतु म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी, म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) एवं महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण संबंधित नियमों/अनुदेशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे (जब तक कि, सक्षम प्राधिकारी से, अन्यथा छूट प्राप्त न की गयी हो)। संविदा पदों पर चयन हेतु राज्य शासन द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

- 5.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा करवाया जायेगा । जाति प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर अनुबंध समाप्त किया जायेगा ।

- 5.6 विज्ञापन:- अनुबंधकर्ता प्राधिकारी द्वारा राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार-पत्रों तथा रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में पद विज्ञापित किया जायेगा। विज्ञापन की एक प्रति अनुबंध प्राधिकारी एवं संबंधित कार्यालयों में नोटिस बोर्ड और कंपनी की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
- 5.7 अनुबंधकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों का चयन एमपी ऑनलाइन या बाह्य एजेंसी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा किया जायेगा।
- 5.8 प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची में अभ्यर्थियों की संख्या, भरे जाने वाले पदों की संख्या से दोगुनी तक हो सकेगी।
- 5.9 कंडिका 5.7 एवं 5.8 के प्रावधानों के रहते हुए भी सहायक अभियंता के संविदा पदों पर अभ्यर्थियों का चयन उनके वैध गेट स्कोर (GATE-Graduate Aptitude Test in Engineering) के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को गेट परीक्षा में अहर्ता प्राप्त करना (गेट क्वालीफाई करना) आवश्यक होगा।
- 5.10 अनुबंधकर्ता प्राधिकारी, उसी क्रम में अनुबंध करेगा, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम चयनसूची की वरीयता में हों।

6. संविदा अनुबंध की कालावधि:-

- 6.1 (अ) संविदा अनुबंध की अधिकतम कालावधि 03 वर्ष होगी। कालावधि समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः शून्य होगा।
 (ब) कंपनी को यह अधिकार होगा कि, कार्य की आवश्यकता होने पर, संविदा कार्मिक द्वारा पिछले संपादित कार्यों एवं आचरण के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए, 03 वर्ष या उससे कम, ऐसी अवधि के लिये जैसी कि कंपनी उचित समझे, नया अनुबंध कर सकेगी। एक अनुबंध से दूसरे अनुबंध के मध्य न्यूनतम 3 कार्य दिवस का अंतराल रखा जायेगा।
- 6.2 अनुबंध की दिनांक से वर्ष की गणना की जायेगी तथा वर्ष के अंत में अथवा संविदा कालावधि समाप्ति पर, नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा कार्मिक के आचरण एवं कार्यों का मूल्यांकन पारदर्शी प्रक्रिया का निर्धारण करते हुये किया जायेगा ताकि स्वेच्छाचारिता की स्थिति निर्मित न हो। यदि वर्ष के अंत में ग्रेडिंग 'घ' या 3 अंक से कम प्राप्त होते हैं तो ऐसे संविदा कार्मिक का अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। ग्रेडिंग का श्रेणीकरण निम्नानुसार होगा (कार्य मूल्यांकन का प्रारूप परिशिष्ट 2 के रूप में संलग्न है) :-

ग्रेडिंग	अंक
क+ उत्कृष्ट /असाधारण	9.1 से 10
क बहुत अच्छा	7.1 से 9.0
ख अच्छा	6.1 से 7.0
ग औसत	3.1 से 6.0
घ सेवा में जारी रखने योग्य नहीं	3.0 अथवा उससे कम

- 6.3 यदि विगत तीन वर्षों में औसत मूल्यांकन 6.1 अंक या उससे अधिक प्राप्त होता है, तो कार्य की आवश्यकता होने पर संविदा अवधि में कंडिका 6.1 (ब) के अनुसार नया अनुबंध किया जा सकेगा।
- 6.4 इन नियमों के अंतर्गत अनुबंधित अथवा पूर्व से अनुबंधित संविदा कार्मिकों को नवीन संविदा (अवधि) हेतु अनुबंधित किये जाने की स्थिति में कंडिका 4.2.1 से 4.2.2 सहपठित 4.4 (iii) के प्रावधानानुसार पारिश्रमिक निर्धारित किया जायेगा।

7. अनुशासन एवं नियंत्रण:-

- 7.1 प्रत्येक संविदा कार्मिक, उसे आवंटित कंपनी के समस्त प्रकार के कार्यों /योजनाओं (जिसके लिये वह अनुबंधित किया गया है) को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये उत्तरदायी होगा और कार्यों में लापरवाही को कदाचरण माना जाएगा।
- 7.2 संविदा पर अनुबंधित संविदा कार्मिक नियंत्रणकर्ता अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अध्याधीन होगा।
- 7.3 दुराचरण पर अनुशासनात्मक कार्यवाही:-
- 7.3.1 निम्न अपराध गंभीर दुराचरण की श्रेणी में माने जायेंगे एवं वर्णित उदाहरण प्रतीकात्मक हैं:-
- (क) माननीय न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी पाया जाना।
 - (ख) शासकीय सम्पत्ति की चोरी अथवा गबन किया जाना।
 - (ग) अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना।
 - (घ) शासकीय कार्य के दौरान अथवा कार्यालय में जुआ खेलना।
 - (ड.) शासकीय कार्य के दौरान नशा करना।
 - (च) हड्डाल में भाग लेना।
 - (छ) शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना।
 - (ज) 10 दिन लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहना।
 - (झ) हड्डाल में भाग लेने हेतु अन्य कर्मचारियों को उकसाना।
 - (य) किसी राजनैतिक दल का कार्य करना अथवा राजनीतिक चुनाव में भाग लेना।
 - (र) कंपनी से संबंधित किसी भी विषय को बिना अनुमति समाचार पत्रों, रेडियो अथवा मीडिया को सूचित करना।
 - (ल) सरकार अथवा सरकार की नीतियों की आलोचना करना।
 - (व) कोई भी ऐसा कार्य जो कंपनी के हितों अथवा प्रतिष्ठा को विपरीत रूप से प्रभावित करे, इत्यादि।
 - (स) कंपनी के व्यवसायिक हितों के प्रतिकूल कार्य करना- उदाहरणार्थ, बिजली चोरी में संलग्नता, इत्यादि।

7.3.2 निम्न कृत्य लघु दुराचरण की श्रेणी के माने जायेंगे :-

- (क) विलम्ब से कार्य पर उपस्थित होना।
- (ख) बिना सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित रहना।

7.3.3 यदि संविदा पर अनुबंधित कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के अथवा बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 10 दिन से अधिक अवधि के लिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होता/रहता है तो उसकी संविदा अनुबंध ऐसी अनुपस्थिति की दिनांक से बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

7.3.4 गंभीर दुराचरण के अपराध पर संविदा कार्मिक का अनुबंध समाप्त किया जायेगा। इस प्रकार अनुबंध समाप्त करने के मामलों में अनुबंधकर्ता प्राधिकारी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को आधारभूत मानते हुए एवं संबंधित कार्मिक को बचाव का यथोचित अवसर देते हुए यथा आवश्यक, कारण बताओ सूचना पत्र/आरोप पत्र जारी कर, सुस्पष्ट एवं सम्यक आदेश पारित करेगा, जिसमें अनुबंध समाप्त करने के कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

7.3.5 लघु दुराचरण के मामलों में वर्षावधि के उपरांत देय पारिश्रमिक वृद्धि और/अथवा कार्यदक्षता वृद्धि को रोकने अथवा संविदा पारिश्रमिक से वसूली अथवा संविदा पारिश्रमिक का भुगतान न करने संबंधी दंड देने का निर्णय लिया जा सकेगा।

8. अन्य शर्तें-

- 8.1 संविदा पर अनुबंधित कार्मिक के लिये आवश्यक होगा कि वह अनुबंध आदेश में उल्लेखित अवधि में अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहे।
- 8.2 संविदा पर अनुबंधित कार्मिक को अनुबंध के समय जिला चिकित्सा अधिकारी/कंपनी के चिकित्सा अधिकारी का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8.3 संविदा कर्मी को किसी भी अन्य कंपनी अथवा राज्य शासन के अन्य विभाग, उपक्रम आदि में स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। कंपनी द्वारा संविदा कार्मिक को आवश्यकतानुसार कंपनी क्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।

8.4 अवकाश:-

- 8.4.1 (अ) संविदा पर अनुबंधित कार्मिक को एक वर्ष में कंपनी में समकक्ष नियमित कार्मिक हेतु लागू आकस्मिक, ऐच्छिक एवं सार्वजनिक अवकाश की पात्रता समानुपातिक आधार पर (Pro-rata basis) होगी।
(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त, संविदा पर अनुबंधित कार्मिकों को प्रतिवर्ष समानुपातिक आधार पर (Pro-rata basis) 10 दिवस तक का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। वर्षावधि के उपरांत, उपयोग नहीं किये गए (शेष) चिकित्सा अवकाश (यदि शेष हो तो) कालक्वलित हो जायेंगे। बगैर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के, अन्य अवकाशों को जोड़ते हुये, एक बार में अधिकतम 3 दिवस तक का, चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

- 8.4.2 महिला संविदा कार्मिकों के मामले में मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
- 8.5 किसी भी पक्ष द्वारा, किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह के पारिश्रमिक का भुगतान कर, संविदा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- 8.6 संविदा पर अनुबंधित कार्मिक संविदा अवधि में किसी अन्य संस्था / व्यक्ति /स्थान को अपनी सेवायें नहीं दे सकेगा।
- 8.7 कंपनी आवश्यकतानुसार इन नियमों में परिवर्तन/ संशोधन कर सकेगी।
- 8.8 अन्य सेवा शर्तें यदि अनुबंध आदेश में विनिर्दिष्ट की जाती हैं, तो वे भी लागू होंगी।
- 8.9 संविदा पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा अनुबंधकर्ता प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु. 500/- (अथवा जो भी राशि मध्य प्रदेश में प्रचलित हो), के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नियत प्रारूप अनुसार करार निष्पादित किया जायेगा। इस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को चयन आदेश जारी होने के अधिकतम 30 दिवस में कार्य पर उपस्थित होना होगा तथा अभ्यर्थी के उपस्थित होने की तिथि से उसे संविदा सेवा में अनुबंधित माना जायेगा।
- 8.10 संविदा के आधार पर अनुबंधित कार्मिक नियमितीकरण/ पेंशन तथा सेवांत प्रसुविधाएं इत्यादि के पात्र नहीं होंगे। संविदा पर अनुबंधित कार्मिक को संविदा सेवा अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- 8.11 ऐसे अभ्यर्थी जिसकी किसी भी विद्युत् कंपनी द्वारा सेवा समाप्त की गई है, तो उसे किसी दूसरी विद्युत् कंपनी द्वारा संविदा पर अनुबंधित नहीं किया जायेगा।
- 8.12 अनुबंधित संविदा कार्मिक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की सदस्यता प्राप्त करना (जैसी भी लागू हो) आवश्यक होगा तथा उसके द्वारा सदस्यता प्राप्त करने की सूचना कंपनी को लिखित में दी जाना होगी।
- 8.13 (अ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित संविदा नीति के अनुसार, संविदा पर अनुबंधित व्यक्ति को अपने परिवार की, सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10% राशि पी.पी.एफ. अथवा जीवन बीमा पेंशन योजना में नियमित रूप से जमा करनी होगी तथा नियंत्रणकर्ता नियुक्ति अधिकारी को उक्त की जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक होगी। अन्यथा स्थिति में नियंत्रणकर्ता नियुक्ति अधिकारी, संबंधित कार्मिक के पारिश्रमिक में से 10% राशि की कटौती कर उक्त मद में जमा करवा सकेंगे। ईपीएफ एकट 1948 के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों हेतु पीपीएफ एवं जीवन बीमा की कटौती एच्छिक होगी।
 (ब) आवश्यकतानुरूप कंपनियां समस्त संबंधितों एवं हितग्राहियों की सहमति के आधार पर सामूहिक बीमा योजना / स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर सकेंगी, जिसका प्रीमियम (किश्त) हितग्राही के संविदा पारिश्रमिक से विकलित किया जायेगा।

9. संविदा कार्मिकों हेतु विद्युत् कंपनियों में सीधी भर्ती के अवसर :-

कंपनी की संगठनात्मक संरचना में नियमित के साथ ही संविदा के पद स्वीकृत हैं। संविदा के स्वीकृत पदों पर कंपनी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करने के उपरांत संविदा कार्मिकों का चयन किया गया है। यह संविदा कार्मिक विद्युत् कंपनियों में सीधी भर्ती के नियमित पदों पर चयन हेतु, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने पर, निम्नानुसार पात्र रहेगे:

- 9.1 संविदा कार्मिकों को, निर्धारित अधिकतम आयु में, कंपनियों में की गई संविदा सेवा अवधि के बराबर (अ) पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिक को अधिकतम 7 वर्ष (एक (1) वर्ष की पूर्ण संविदा सेवा हेतु 1 वर्ष की छूट के आधार पर), (ब) दिनांक 1.1.2018 के बाद अनुबंधित संविदा कार्मिक को अधिकतम 5 वर्ष (एक (1) वर्ष की पूर्ण संविदा सेवा हेतु 1 वर्ष की छूट के आधार पर) की छूट देते हुए, सीधी भर्ती के समय, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।
- 9.2 विद्युत् कंपनियों में कार्यरत पात्र संविदा कार्मिक किसी भी अन्य विद्युत् कंपनी के नियमित पदों की सीधी भर्ती में आवेदन कर सकेंगे।
- 9.3 वर्तमान में कार्यरत अथवा इस नीति के लागू होने के उपरांत संविदा के पद पर चयनित ऐसे संविदा कार्मिक, जिन्होंने विद्युत् कंपनियों में न्यूनतम् 4 वर्ष की विभागीय संविदा अवधि पूर्ण की हो एवं कंपनी में सीधी भर्ती के नियमित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों, सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (प्रतियोगी परीक्षा) में भाग ले सकेंगे।
- 9.4 सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (प्रतियोगी परीक्षा) में संविदा कार्मिकों के प्राप्तांक के आधार पर उनकी पृथक मेरिट लिस्ट तैयार कर, निम्नानुसार आरक्षित पदों को भरा जायेगा, जिसमें आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे:-

क्र.	पद	प्रतियोगी परीक्षा में सीधी भर्ती के विजापित पदों में संविदा कार्मिकों हेतु आरक्षित रखे जाने वाले पद (कुल विजापित पदों के प्रतिशत में)
1	लाईन हेल्पर, लाईन अटेंडेंट एवं परीक्षण सहायक	40 प्रतिशत
2	सहायक अभियंता (मेनेजर) एवं कनिष्ठ अभियंता (सहायक मैनेजर), कार्यालय सहायक श्रेणी-3 एवं अन्य	25 प्रतिशत

नोट : आरक्षित नियमित पद नहीं भरे जाने की स्थिति में यह पद अग्रेषित (carry forward) नहीं होंगे।

- 9.5 आरक्षित नियमित पद के विरुद्ध चयन होने पर संविदा कार्मिक को कंपनी के साथ प्रचलित अनुबंध निरस्त करना होगा तथा जिस नियमित पद पर उसका चयन हुआ है उस पद हेतु विज्ञापन अनुसार वेतन, भत्ते तथा अन्य शर्तें स्वीकार करनी होंगी। ऐसे संविदा कार्मिक को पूर्व के संविदा पद पर प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक / मानदेय का संरक्षण नहीं किया जायेगा।
- 9.6 प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा कुल विजापित पदों पर चयनित समस्त अभ्यर्थियों {यथा कंडिका 9.4 अनुसार आरक्षित तथा समस्त अन्य } की इस परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सूची बनाई जायेगी। समस्त चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु कंडिका 9.4 में इंगित आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित संविदा कार्मिकों को उनके द्वारा विभागीय संविदा अनुबंधन के अंतर्गत पूर्ण की गई अवधि के लिए, उनको प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांकों में, प्रतिवर्ष एक (1) प्रतिशत की दर से, अधिकतम पांच (5) प्रतिशत अंक का कुल वेटेज दिया जायेगा। इस वेटेज को उनके प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांकों में जोड़ने के उपरान्त प्राप्त कुल अंक के आधार पर समस्त चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षित पदों के विरुद्ध कार्मिकों को यह वेटेज मेरिट सूची में आने के उपरान्त केवल वरिष्ठता निर्धारण हेतु दिया जायेगा एवं यह चयन का मापदंड नहीं रहेगा। नियमित पद पर नियुक्त होने पर संविदा कार्मिक को संविदा पद पर उसके द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए कोई अन्य वेटेज नहीं दिया जायेगा।
- 9.7 संविदा पर कार्यरत सहायक यंत्रियों हेतु आरक्षित, सहायक यंत्री के सीधी भर्ती के 25 % नियमित पदों पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हतायें (कंडिका 9.1 में दी गई छूट के साथ) रखने वाले संविदा सहायक यंत्रियों हेतु एम पी ऑनलाईन के माध्यम से पृथक से विभागीय परीक्षा आयोजित की जाकर इन पदों को भरा जाएगा।
- 9.8 संविदा कार्मिकों के लिए कंपनी में सीधी भर्ती के नियमित पदों पर चयन के उपरोक्त (9.1 से 9.7 अनुसार) प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिन नियमित पदों पर विद्युत् कंपनियों द्वारा सीधी भर्ती पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, उन पर भी यह प्रावधान लागू होंगे।
- परन्तु, ये नियम जारी होने की तिथि तक सीधी भर्ती के नियमित पद जिनपर चयन हेतु विद्युत् कंपनियों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है, हेतु इस प्रावधान से छूट रहेगी।

10. नियम के जारी होने के पूर्व से अनुबंधित संविदा कार्मिकों हेतु संशोधित नियम, 2018 के चयन का विकल्प -

इन नियमों के जारी होने (लागू / प्रभावी होने से नहीं) की तिथि के पूर्व से कंपनी में अनुबंधित संविदा कार्मिकों के लिए संशोधित नियम, 2018 के चयन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। संविदा कार्मिक, संशोधित नियम, 2018 के चयन का विकल्प अथवा वर्तमान अनुबंध की समाप्ति तक संविदा सेवा नियम, 2016 के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त

करने का विकल्प, इस नियम के परिशिष्ट-3 के अनुसार चुन सकते हैं। तदनुसार सेवा शर्त भी इन संविदा कार्मिकों के लिए लागू रहेंगी। यदि संविदा कार्मिक द्वारा संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) संशोधित नियम, 2018 का चयन किया जाता है तो उक्त स्थिति में उसे परिशिष्ट-4 के अनुसार वचन पत्र भी भरना होगा जिसमें उसकी इस नियम के चयन हेतु सहमति है एवं यह वचन है कि उसके द्वारा नियम जारी होने के पूर्व की अवधि के पारिश्रमिक के एरियर के सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई दावा अथवा वाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार विकल्प/ वचन पत्र दिये जाने पर कार्मिक के पारिश्रमिक पुनरीक्षण की कार्यवाही, कंपनी द्वारा की जायेगी। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिक अनुबंध अवधि तक पुराने नियमों से आबद्ध रहेंगे।

11. नियम के जारी होने की तिथि के पूर्व से अनुबंधित संविदा कार्मिकों हेतु पारिश्रमिक एवं कार्यदक्षता वृद्धि :-

11.1 नियम के जारी होने की तिथि के पूर्व से अनुबंधित विभिन्न संवर्गों के संविदा कार्मिकों, जिनके द्वारा नियम जारी होने के उपरांत इन नियमों के अंतर्गत विनियमित होने के विकल्प का चयन किया गया हो, को उनके प्रथम अनुबंधन वर्ष के आधार पर उनके संविदा पद के अनुसार देय पारिश्रमिक की गणना इस नियम के परिशिष्ट -1 के अनुसार की जाएगी।

उदाहरणार्थ वर्ष 2015 से अनुबंधित सहायक अभियंता हेतु स्थिर राशि जिस पर 1 जनवरी 2018 को महंगाई भत्ता जोड़ कर पारिश्रमिक निकाला जाना है वह रुपये 52010/- होगी जबकि वर्ष 2010 से अनुबंधित सहायक अभियंता हेतु तालिका-1 के अनुसार यह स्थिर राशि रुपये 54530/- होगी।

11.2 परिशिष्ट-1 अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक, नियम प्रभावी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 01.01.2018 से देय होगा। संविदा कार्मिक को दिनांक 01.01.2018 से नियम जारी होने की तिथि तक की अवधि के लिए एरियर्स का भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 के पूर्व की अवधि हेतु संविदा कार्मिक को कोई एरियर्स देय नहीं होगा।

और यह कि परिशिष्ट -1 के अनुसार पारिश्रमिक की प्रयोज्यता केवल नियमों के प्रभावी होने की तिथि से देय पारिश्रमिक के निर्धारण के अलावा कहीं और नहीं की जा सकेगी।

11.3 पूर्व से अनुबंधित इन संविदा कार्मिकों को, 12 माह की संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर (पूर्व एवं नवीन अनुबंध अंतर्गत) एवं कार्य मूल्यांकन में 'ख' (अंक 6.1 से 7) या अधिक ग्रेडिंग प्राप्त होने पर, कंडिका 11.1 अनुसार निर्धारित पारश्रमिक में एक (1) प्रतिशत कार्यदक्षता वृद्धि भी देय होगी।

12. निर्वचन:-

इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उँड़त होता है, तो वह कंपनी मुख्यालय के न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

13. निरसन एवं व्यावृत्ति:-

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं, परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी नियमों के अधीन किया गया है या की गई है।

परन्तु, वह संविदा कार्मिक जिसने इन नियमों के अंतर्गत विनियमित होने का चयन नहीं किया है वह पूर्ववर्ती नियमों से उनके प्रचलित अनुबंध की अवधि की समाप्ति तक विनियमित होंगे।

14. ये नियम इनके प्रभावी होने की तिथि से पांच (5) वर्ष के लिए लागू रहेंगे।

संलग्न: परिशिष्ट- 1 से 4


मुख्य महाप्रबंधक (मासं. एवं प्रशा.)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर

नियम जारी होने के पूर्व से अनुबंधित संविदा कार्मिक (जिनके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत विनियमित होने का चयन किया जायेगा) के प्रथम अनुबंधन वर्ष के आधार पर पारिश्रमिक का निर्धारण तथा इस नियम के जारी होने के उपरान्त अनुबंधित किये जाने वाले नवीन संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक का निर्धारण।

1 तालिका-1- संविदा कार्मिक की पूर्ण अनुबंधन अवधि हेतु स्थिर राशि

क्र.	संविदा पदों का विवरण	प्रथम अनुबंधन वर्ष एवं पद के आधार पर स्थिर राशि (रुपये में)									
		प्रथम अनुबंधन वर्ष									
		वर्ष 2018 एवं उसके उपरान्त अनुबंधित संविदा कार्मिक	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	चार्ड एकाउंटेंट*	53295	53830	54370	54900	55430	55960	56500	57030	57560	
2	सहायक अभियंता* / विधि अधिकारी* / प्रबंधक (मा.सं.) / चिकित्सा अधिकारी* / प्रबंधक/ ए.ई.टी. / सहायक अभियंता (नेटवर्क) / कंपनी सचिव / मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव / लीगल एक्जीक्यूटिव	50490	51000	51500	52010	52510	53020	53520	54030	54530	
3	प्रोशामर *	38430	38820	39200	39590	39970	40360	40740	41130	41510	
4	कनिष्ठ अभियंता */ कनिष्ठ अभियंता (नेटवर्क) / सहायक प्रबंधक (आई.टी.)/ (मा.संसा.)	29520	29820	30120	30410	30710	31000	31300	31590	31890	
5	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	22770	23000	23230	23460	23690	23910	24140	24370	24600	
6	कार्यालय सहायक श्रेणी - तीन*	17550	17730	17910	18080	18260	18430	18610	18780	18960	
7	टेस्टिंग असिस्टेंट	19890	20090	20290	20490	20690	20890	21090	21290	21490	
8	लाइन अटेंडेंट* / टेस्टिंग अटेंडेंट	17550	17730	17910	18080	18260	18430	18610	18780	18960	
9	वाहन चालक	14490	14640	14780	14930	15070	15220	15360	15510	15650	
10	भृत्य / वार्ड व्याय / वार्ड आया	13950	14090	14230	14370	14510	14650	14790	14930	15070	

* मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर से संबंधित पद

2. इन नियमों के जारी होने की तिथि के पूर्व से कंपनी में अनुबंधित संविदा कार्मिक, जिनके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत विनियमित होने एवं पारिश्रमिक प्राप्त करने के विकल्प का चयन गया है तो उनके पारिश्रमिक की गणना हेतु सर्वप्रथम उपरोक्त तालिका में इंगित सम्बंधित पद तथा उनके प्रथम अनुबंधन के वर्ष के आधार पर आ रही स्थिर राशि निकाली जाएगी। यह राशि उनके अनुबंध अवधि हेतु एवं यदि अनुबंध अवधि में वृद्धि भी की जाती है तो भी स्थिर रहेगी।
3. उपरोक्तानुसार स्थिर राशि में माह जनवरी 2018 में घोषित महंगाई भत्ते को जोड़कर संविदा कार्मिक का पारिश्रमिक निकाला जायेगा। प्राप्त राशि को दस रुपये के पूर्णांक में आंकित किया जा सकेगा।
4. उदाहरणार्थ : वर्ष 2014 में अनुबंधित लाईन अटेण्डेंट / टेस्टिंग अटेण्डेंट के पारिश्रमिक की गणना हेतु उपरोक्त तालिका-1 अनुसार रुपये 18260/- की राशि स्थिर राशि होगी। इस राशि में माह जनवरी 2018 में घोषित महंगाई भत्ते को जोड़कर इस कार्मिक का पारिश्रमिक निकाला जायेगा। वर्ष 2014 में अनुबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट हेतु स्थिर राशि रुपये 55430/- होगी, जिसमें उक्तानुसार 1 जनवरी 2018 को घोषित महंगाई भत्ते को जोड़कर पारिश्रमिक निकाला जायेगा।
5. इस नियम के जारी होने के उपरांत भर्ती किये गए नवीन संविदा कार्मिकों को देय पारिश्रमिक की गणना हेतु तालिका-1 में उनके पद (कॉलम (2)) के समक्ष कॉलम (3) में इंगित राशि स्थिर राशि होगी तथा जिस वर्ष उनका चयन होगा, उस वर्ष के माह जनवरी से घोषित महंगाई भत्ते को जोड़कर उनका पारिश्रमिक निकाला जायेगा।
6. अनुबंधित कार्मिकों के आगामी वर्षों के पारिश्रमिक की गणना हेतु उपरोक्तानुसार तालिका में उनके पद के समक्ष तथा उनके अनुबंधन वर्ष के आधार पर इस परिशिष्ट की कंडिका -2 के अनुसार स्थिर राशि में आगामी वर्ष के माह जनवरी से घोषित महंगाई भत्ते को जोड़कर उनका पारिश्रमिक निकाला जायेगा।


 मुख्य महाप्रबंधक (मासं. एवं प्रशा.)
 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्डौर

कार्य मूल्यांकन

विभाग का नाम.....

1. नाम
2. पद.....
3. अनुबंध अवधि..... (दिनांक/माह/वर्ष) से (दिनांक/माह/वर्ष)
4. कार्य का संक्षिप्त विवरण (प्रतिवेदन/नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा भरा जाए)

विशेषताएँ

(क) कार्यपालिक तथा सुपरवाइजरी कार्यों के निष्पादन हेतु अनुबंधित संविदा कार्मिकों हेतु

क्र.	विशेषताएँ	क+	क	ख	ग	घ
i	कार्य के प्रति दृष्टिकोण					
ii	निर्णय लेने की क्षमता					
iii	पहल करना एवं रचनात्मकता					
iv	व्यक्तिगत संबंध एवं समूह कार्य					
v	निरीक्षण तथा योजना बनाने की योग्यता					
vi	समन्वय की योग्यता					
vii	कार्य का ज्ञान					
viii	कार्य की गुणवत्ता					
ix	प्रबंधन उत्कृष्टता					
x	वर्ष की कार्य उत्पादकता					

प्रतिवेदन अधिकारी का आंकलन

संविदा कार्मिक के द्वारा कृत कार्यों के आधार पर मूल्यांकन अभिलेख मेरे द्वारा भरा गया तथा समग्र समीक्षा उपरांत कार्मिक की ग्रेडिंग का आंकलन निम्नानुसार है :-

ग्रेडिंग	
----------	--

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

(प्रतिवेदन अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

क्रमशः ...2...

पुनरीक्षणकर्ता/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी का आंकलन

प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा संविदा कार्मिक के कार्य के आंकलन की मेरे द्वारा समीक्षा की गई ।
मेरे आंकलन के अनुसार कार्मिक की ग्रेडिंग निम्न है :-

ग्रेडिंग	
----------	--

हस्ताक्षर

दिनांक.....

(पुनरीक्षणकर्ता/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम).....

कार्यमूल्यांकन ग्रेडिंग एवं अंक

ग्रेडिंग	अंक
क+ उत्कृष्ट /असाधारण प्रतिभाशाली	9.1 से 10
क बहुत अच्छा	7.1 से 9.0
ख अच्छा	6.1 से 7.0
ग औसत	3.1 से 6.0
घ सेवा में जारी रखने योग्य नहीं	3.0 अथवा उससे कम

2. "कार्य मूल्यांकन" में विभिन्न ग्रेडिंग हेतु संख्यात्मक मान क्र+=10 अंक, क=9.0 अंक, ख=7.0 अंक, ग=6.0, घ=3.0 अंक होंगे। प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा विभिन्न विशेषताओं हेतु दी गई ग्रेडिंग के संख्यात्मक मान के योग के औसत के आधार पर अंतिम ग्रेडिंग निर्धारित की जाएगी।
3. "मूल्यांकन अभिलेख" प्रतिवेदन अधिकारी (नियंत्रणकर्ता अधिकारी) द्वारा समीक्षित किये जाने के पश्चात्, नियंत्रणकर्ता अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, पुनरीक्षित/स्वीकृत किया जायेगा।

कार्य मूल्यांकन

विभाग का नाम.....

1. नाम
2. पद.....
3. अनुबंध अवधि..... (दिनांक/माह/वर्ष) से (दिनांक/माह/वर्ष)
4. कार्य का संक्षिप्त विवरण (प्रतिवेदन/नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा भरा जाए)

विशेषताएँ

(ख) कार्यों के निष्पादन हेतु अनुबंधित संविदा कार्मिकों हेतु

क्र.	विशेषताएँ	क+	क	ख	ग	घ
i	कार्य के प्रति इष्टिकोण					
ii	निर्णय लेने की क्षमता					
iii	व्यक्तिगत संबंध एवं समूह कार्य					
iv	समन्वय की योग्यता					
v	कार्य का ज्ञान					
vi	कार्य की गुणवत्ता					
vii	वर्ष की कार्य उत्पादकता					

प्रतिवेदन अधिकारी का आंकलन

संविदा कार्मिक के द्वारा कृत कार्यों के आधार पर मूल्यांकन अभिलेख मेरे द्वारा भरा गया तथा समग्र समीक्षा उपरांत कार्मिक की ग्रेडिंग का आंकलन निम्नानुसार है :-

ग्रेडिंग	
----------	--

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

(प्रतिवेदन अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

पुनरीक्षणकर्ता/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी का आंकलन

क्रमशः ...2..

प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा संविदा कार्मिक के कार्य के आंकलन की मेरे द्वारा समीक्षा की गई।
मेरे आंकलन के अनुसार कार्मिक की ग्रेडिंग निम्न है :-

ग्रेडिंग	
----------	--

हस्ताक्षर दिनांक.....

(पुनरीक्षणकर्ता/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम).....

कार्यमूल्यांकन ग्रेडिंग एवं अंक

ग्रेडिंग	अंक
क+ उत्कृष्ट /असाधारण प्रतिभाशाली	9.1 से 10
क बहुत अच्छा	7.1 से 9.0
ख अच्छा	6.1 से 7.0
ग औसत	3.1 से 6.0
घ सेवा में जारी रखने योग्य नहीं	3.0 अथवा उससे कम

2. "कार्य मूल्यांकन" में विभिन्न ग्रेडिंग हेतु संख्यात्मक मान क+=10 अंक, क=9.0 अंक, ख=7.0 अंक, ग=6.0, घ=3.0 अंक होंगे। प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा विभिन्न विशेषताओं हेतु दी गई ग्रेडिंग के संख्यात्मक मान के योग के औसत के आधार पर अंतिम ग्रेडिंग निर्धारित की जाएगी।
3. "मूल्यांकन अभिलेख" प्रतिवेदन अधिकारी (नियंत्रणकर्ता अधिकारी) द्वारा समीक्षित किये जाने के पश्चात्, नियंत्रणकर्ता अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, पुनरीक्षित/स्वीकृत किया जायेगा।

A

विकल्प का प्रारूप

(पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों हेतु)

(i) मैं दिनांक 01 जनवरी, 2018 से प्रभावी संविदा
 सेवा (सेवा की शर्तें एवं अनुबंध) संशोधित नियम - 2018 के चयन एवं इस नियम के अनुसार संशोधित
 पारिश्रमिक का चयन करता हूँ / करती हूँ ।

अथवा

(ii) मैं धारित पद पर संविदा सेवा (सेवा की शर्तें
 एवं अनुबंध) नियम - 2016 के चयन एवं इसके अंतर्गत नियत पारिश्रमिक के अनुसार ही संविदा अनुबंध
 अवधि तक आगे बने रहने हेतु विकल्प का चयन करता हूँ / करती हूँ ।

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

नाम

पदनाम

कार्यरत कार्यालय का नाम

कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने की दिनांक

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

वचन पत्र (Undertaking)

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर
संविदा सेवा (सेवा की शर्तें एवं अनुबंध) संशोधित नियम - 2018
(पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों हेतु)

मैं, दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर, संविदा सेवा (सेवा की शर्तें एवं अनुबंध) संशोधित नियम-2018 के चयन तथा इस नियम में निहित प्रावधानों के आधार पर इन नियमों के जारी होने की तिथि से नवीन संविदा पारिश्रमिक हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करती हूँ।

मुझे इस तथ्य का पूर्ण संज्ञान है कि म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर, संविदा सेवा (सेवा की शर्तें एवं अनुबंध) संशोधित नियम-2018 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में संसूचित पारिश्रमिक नोशनल (Notional)/काल्पनिक है। मैं इन नियमों के जारी होने की तिथि के पूर्व की अवधि के पारिश्रमिक एरियर्स के संबंध में कभी भी कोई दावा अथवा न्यायालयीन वाद प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं कंपनी को वह संपूर्ण राशि जो कि पारिश्रमिक नियतन में त्रुटि के कारण तथा अन्य कोई भी राशि जोकि इस प्रकार पारिश्रमिक नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई है, कंपनी के निर्देशों के अनुरूप वापस करूँगा/ करूँगी ।

साक्षी हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

नाम

पदनाम

पदनाम

कार्यरत कार्यालय का नाम

कार्यरत कार्यालय का नाम

दिनांक

दिनांक